अपील सूचना का अधिकार संख्या 83/2020 (GCMS 2020/00151) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल, जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राजस्थान) बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

19.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। अपीलार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2018 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (निर्वाचन), जिला कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 09 बिन्दुओं की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उसे समस्त सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (निर्वाचन), जिला कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. पत्रांक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पत्रांक 3471 दिनांक 09.03.2018 जो तहसीलदार (निर्वाचन), श्रीगंगानगर को सम्बोधित है, के कार्यालय में पहुंचने तारीख व पत्र प्राप्ति पंजीका का क्रमांक व दिनांक ... ।
2. बीएलओ श्री ... दिनांक 0?.04.2014 से 07.04.2014 तक ... अधिकारी से अनुमति लेकर गया था, उस अधिकारी का नाम व पद ... सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:20 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. आचार संहिता प्रारम्भ होने के पश्चात से ड्यूटी पर कार्यरत कर्मकार चुनाव ड्यूटी के दौरान जिस अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय छोड़कर जाने व अधिकारी का नाम व पद की सूचना की प्रमाणित प्रति।
4. आचार संहिता लोकसभा चुनाव 2014 में दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने का प्रार्थना पत्र बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा जिस निर्वाचन अधिकारी को दिये, उसकी सूचना व प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति।
5. जिस निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिस जगह मुख्यालय छोड़कर जाने हेतु आवेदन मंजूर दिनांक 05.04.2021 से दिनांक 07.04.2021 तक का किया, उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. बीएलओ श्री सुभाष गोयल 05.04.14 से दिनांक 07.04.2014 तक श्रीगंगानगर में चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत होने की अवस्था मे दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 की अवधि का मुख्यालय छोड़नें की अनुमति जिस आचार संहिता की नियम के अन्तर्गत दी गई, उसकी सूचना की प्रमाणित प्रति।
7. आचार संहिता का उल्लंघन बीएलओ द्वारा किया जाने पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दिनांक 21.09.2020 की पालना में बीएलओ को Suspend करने के सम्बन्ध में सूचना।
8. बीएलाओ श्री सुभाष गोयल लोक सभा चुनाव 2014 में जिस अधिकारी निर्वाचन के अधी[illegible] र रहे थे उस अधिकारी का पद व न्याय[illegible]
9. वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में पदस्थापित रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का नाम व पद की सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ 37(3)(57)(RTI)निर्वा/2019/2004 दिनांक 31.08.2020 से अपीलार्थी से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में आवेदन श्री राधेश्याम गोयल को प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया है।
>
> 1. बिन्दु संख्या 1 के संबंध में प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल को अपील संख्या 67/2019 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 1773 दिनांक 10.07.2020 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। (संलग्न प्रति)
> 2. बिन्दु संख्या 2 के संबंध में प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल को इस कार्यालय के पत्रांक 1756 दिनांक 07.07.2020 द्वारा जवाब दिया गया कि जिस रूप में सूचना चाही गई है, उस रूप में संधारित नहीं है। अतः बिन्दु संख्या 02 के संबंध में चाही गई सूचना दिया जाना संभव नहीं है। आप उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन कर नियमानुसार चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते है। (संलग्न प्रति।)
> 3. बिन्दु संख्या 03 के संबंध में प्रभारी जिला अभिलेखागार, जिला कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। (संलग्न प्रति)
>
> अतः आवेदक को प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 3 के संबंध में इस कार्यालय तथा जिला अभिलेखागार कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:20 IST
Reason: SelfAttested

चुकी है। अतः श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि उक्त अपील 83/2020 खारिज फरमाई जावे।

संलग्न : उक्तानुसार।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 से 3 का जवाब उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।**

किन्तु बिन्दु संख्या 04 से 09 में सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने अथवा न देने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को **अपीलार्थी की अपील रिमाण्ड की जाती है** और निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा वांछित **सूचनाओं के बिन्दु संख्या 4 से 9 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर भीतर पुनः विधिवत् निर्णय करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील रिमाण्ड की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर **को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:20 IST
Reason: SelfAttested